इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति माह 40/ रुपए
(आईएसओ 9001 : 2015 द्वारा प्रमाणित)

व्यावसायिक
उत्कृष्टता के
प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड संख्या: 13 अंक संख्या: 2 सितम्बर, 2020 पृष्ठों की संख्या 19

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ ---2
बैंकिंग से संबंधित नीतियाँ ------------------------------------- 5
बैंकिंग जगत की घटनाएँ -- 6
विनियामकों के कथन ---7
विदेशी मुद्रा --8
शब्दावली---8
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी -------------------------------- 10
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ---------------------------------10
संस्थान समाचार --11
नयी पहलकदमी --**-------**16
बाजार की खबरें --17

''इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों/ मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/ किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

4 से 6 अगस्त, 2020 तक आयोजित मौद्रिक नीति समिति की 2री बैठक की मुख्य विशेषताएँ

- पुनर्खरीद (repo) और प्रति-पुनर्खरीद (reverse repo) दरें क्रमश: 4% और 3.35% पर अपरिवर्तित।
- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) और बैंक दर 4.25% पर।
- कोविड-19 से संबन्धित दबाव- निवारण ढांचा।
- राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) और नाबार्ड प्रत्येक के लिए 5000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त विशेष चलनिधि सुविधा।
- कोविड-19 परिदृश्य में चलनिधि का प्रबंधन करने में बैंकों की सहायता करने हेतु आटो-स्वीप-इन-स्वीप आउट (ASISO) सुविधा की शुरूआत।
- मूल्य की तुलना में ऋण अनुपात बढ़ाकर गिरवीकृत सोने के मूल्य का 90% किया गया।
- 25 करोड़ रुपए तक के ऋण बकाए वाले उधारकर्ताओं के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) की पुनरसंरचना का प्रावधान।
- स्टार्ट-अपों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (PSL) श्रेणी के अधीन लाना।
- वित्तीय समावेशन, कुशल बैंकिंग को बढ़ावा देने हेतु नवोन्मेष हबों की स्थापना।
- 50,000 रुपए से अधिक के सभी चेकों की सकारात्मक भुगतान व्यवस्था।

- कार्ड एवं मोबाइल उपकरणों का उपयोग करते हुये आफ़लाइन खुदरा भुगतान की योजना।
- डिजिटल भुगतानों के लिए आनलाइन विवाद निवारण तंत्र की व्यवस्था करना।
- बैंकों को पारस्परिक निधियों के जरिये ऋण लिखतों में निवेश करने की अनुमति।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने दिशानिर्देशों को संशोधित किए जाने के फलस्वरूप स्टार्ट-अपों को प्राथमिकता प्राप्त उधार का दर्जा प्राप्त होगा

स्टार्ट-अपों और नवीकरणीय ऊर्जा फ़र्मों को अधिक उधार पाने में समर्थ बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्रीय असमानताओं को ठीक करने हेतु प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार मानदंडों में संशोधन करेगा। इसका ध्येय स्टार्ट-अपों को उभरती राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से संरेखित करना तथा समावेशी विकास को और बढ़ाना है। वहनीय विकास ध्येयों को ध्यान में रखते हुये इन संशोधित दिशानिर्देशों का ध्येय वातावरण के अनुकूल उधार नीतियों को प्रोत्साहन देना तथा उनका समर्थन करना भी है। अभिज्ञात जिलों में जहां ऋण प्रवाह अपेक्षाकृत अधिक ऋण प्रवाह वाले जिलों के मुक़ाबले तुलनात्मक दृष्टि से कमतर है, वृद्धिशील प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण को उच्चतर वरीयता दी जाएगी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋणगत पारस्परिक निधि योजनाओं में बैंकों के निवेशों पर पूंजीगत प्रभार घटाए

भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋणगत पारस्परिक निधियों (MFs) में निवेश करते समय बैंको द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले पूंजीगत प्रभार को कम कर दिया है। बासेल III के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार यदि किसी बैंक ने सीधे तौर पर कोई ऋणगत लिखत ले रखा है, तो उसे किसी पारस्परिक निधि/शेयर बाजार में खरीदी-बेची जाने वाली निधि (ETF) के जरिये उसी ऋणगत लिखत को रखने की तुलना में कमतर पूंजी आबंटित करनी होगी। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि पारस्परिक निधियों/शेयर बाजार में खरीदी-बेची जाने वाली निधियों में निवेशों पर इक्विटियों पर यथा-प्रयोज्य विशिष्ट जोखिम पूंजीगत प्रभार लागू होता है। किन्तु किसी बैंक द्वारा कोई ऋणगत

लिखत सीधे ही लिये जाने पर विशिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार ऋणगत लिखत की प्रकृति और उसके श्रेणी-निर्धारण के आधार पर लगाया जाता है। हालांकि, इस बात को ध्यान में रखते हुये कि किसी ऋणगत पारस्परिक निधि/ शेयर बाजार में खरीदी-बेची जाने वाली निधि में इक्विटी जैसी ही विशेषताएँ निहित होती हैं - पारस्परिक निधि/ शेयर बाजार में खरीदी-बेची जाने वाली निधियों के समूह में किसी एक भी ऋणगत प्रतिभूति में चूक हो जाने की स्थिति में उस समूह में मौजूद अन्य ऋणगत प्रतिभूतियों के उच्च गुणवत्ता वाली होने के बावजूद - भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्तमान में मौजूदा भिन्न निरूपण को सुसंगत किए जाने का निर्णय लिए जाने पर उस निधि पर प्राय: मोचन संबंधी गंभीर दबाव पड़ता है। फलत: 9% का सामान्य बाजार जोखिम प्रभार लागू किया जाना जारी रहेगा तथा बाजार जोखिम हेतु कुल बाजार जोखिम प्रभार के परिकलन में ऋण एवं इक्विटी दोनों ही लिखतों के तत्वों का समावेश होगा। इसकी परिणति बैंकों के लिए पर्याप्त पूंजी बचत में होगी तथा बांड बाजार को बढ़ावा मिलेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा भुगतानों के लिए नयी समावेशी कंपनियों की रूपरेखा जारी की

भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा भुगतानों के लिए एक ऐसी नयी समावेशी (umbrella) संस्था/कंपनी की स्थापना हेतु एक रूपरेखा जारी की है जो खुदरा क्षेत्र में नयी भुगतान प्रणाली की स्थापना करने, उसका प्रबंधन और परिचालन करने के लिए उत्तरदाई होगी। उक्त संस्था/कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन भारत में निगमित एक कंपनी होगी तथा वह ‘लाभ के लिए’ या फिर उसके द्वारा यथा-निर्धारित रूप में धारा 8 वाली एक कंपनी होगी। इस संस्था/ कंपनी की न्यूनतम चुकता पूंजी 500 करोड़ रुपए होगी जिसमें (पूंजी में) किसी एकल प्रवर्तक समूह का निवेश 40% से अधिक नहीं होगा। प्रारम्भ में आवेदन प्रस्तुत करते समय प्रवर्तक के पास न्यूनतम 50 करोड़ रुपए की पूंजी होनी चाहिए। भुगतान प्रणाली के प्रचालकों और उनके साथ ही तीन वर्ष के अनुभव वाले भुगतान एवं प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता आवेदन करने के पात्र होंगे।

नयी संस्था/कंपनी को कारपोरेट अभिशासन के मानदंडों तथा उसके बोर्ड में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों को ‘अनुरूप एव उपयुक्त’ मानदंडों का पालन करना होगा। उक्त बोर्ड में भारतीय रिजर्व बैंक भी एक सदस्य को नामित कर सकता है तथा निदेशकों की नियुक्ति को अनुमोदित करने का अधिकार रख सकता है। इस नयी संस्था/कंपनी को एटीएमों, श्वेत लेबल बिक्री केन्द्रों (PoS), आधार पर आधारित भुगतानों एवं विप्रेषण सेवाओं जैसी भुगतान प्रणाली को परिचालित करने का कार्य सौंपा जा सकता है। यह सहभागी बैंकों एवं बैंकेतर संस्थाओं के लिए समाशोधन

और निपटान प्रणालियों का प्रबंधन भी करेगी तथा आघातों से बचने के लिए भारत और विदेशों में खुदरा भुगतान प्रणाली में विकास और उससे संबन्धित मुद्दों पर निगरानी रखेगी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने विशेष खुले बाजार के परिचालन किये

भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 अगस्त, 2020 और 3 सितंबर, 2020 को बाजार से 20,000 करोड़ रुपए मूल्य के बाँड़ों के लिए दो समान शृखलाओं में विशेष खुले बाजार के परिचालन (OMOs) किए। पहले परिचालन में 2024 और 2032 के बीच की अवधि में परिपक्व होने वाले बाँड़ों की खरीद की गई, जबकि इस वर्ष के अक्तूबर और नवंबर के बीच परिपक्व होने वाले बाँड़ों को बेचा गया। दीर्घावधिक बाँड़ों की खरीद तथा अल्पावधिक बाँड़ों की इसप्रकार की साथ-साथ बिक्री सामान्य रूप से परिचालन विकृति (twist) कहे जाते हैं। यह दीर्घावधि प्रतिफलों को कम कर देता है, अल्पावधिक प्रतिफलों को बढ़ा देता है, किन्तु चलनिधि को तटस्थ रखता है।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

कोविड से प्रभावित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को भारतीय रिजर्व बैंक से ऋणों की पुनरसंरचना करने से राहत मिली

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को कोविड से प्रभावित छोटे व्यवसायों के लिए ऋणों की पुनरसंचना की अनुमति देकर उन्हें एक और जीवन-दान दे दिया है। इस बात को ध्यान में रखते हुये कि किसी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ऋण के अव्यवस्थित होकर अनर्जक आस्ति में चले जाने के अवसर अन्यों की तुलना में अधिक होते हैं, यह कार्रवाई एक महत्वपूर्ण मुहिम बन जाती है। वे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जो अव्यवस्थित होकर 1 मार्च, 2020 तक अनर्जक आस्ति मोड में नहीं गए तथा जिन्हें "मानक" खाता माना गया इस योजना से लाभान्वित होंगे जिसे 1 मार्च, 2021 तक कार्यान्वित किया जाना होगा। यह 31 दिसंबर, 2020 तक जारी रहने वाली वर्तमान योजना का ही विस्तार है जो 1 जनवरी, 2020 तक मानक रहे खातों के लिए बनाई गई थी। हालांकि, इस योजना में केवल 1 मार्च, 2020 के दिन 25 करोड़ रुपए की समग्र उधार राशियों वाले माल और सेवा कर (GST) के अधीन पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ही शामिल होंगे। "मानक" के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं का आस्ति वर्गीकरण फिलहाल बनाए रखा जाना चाहिए, जबकि 2 मार्च, 2020

और कार्यान्वयन की तिथि के बीच जो खाते अनर्जक आस्ति श्रेणी में आ गए हों, उनका पुनरसंरचना योजना के कार्यान्वयन की तिथि को मानक आस्ति के रूप में कोटि-उन्नयन कर दिया जाना चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए मूल्य की तुलना में ऋण बढ़ाए

परिवारों, उद्‌यमियों और छोटे व्यवसायों पर कोविड-19 वैश्विक महामारी के आर्थिक प्रभाव को न्यूनीकृत करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए कृषीतर उद्देश्यों के लिए स्वर्णाभूषणों एवं जवाहरात पर ऋण देने हेतु अनुमेय मूल्य की तुलना में ऋण (LTV) 75% से बढ़ा कर 80% कर दिया है।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय समावेशन, कुशल बैंकिंग के लिए नवोन्मेष हब की स्थापना करेगा

भारतीय रिजर्व बैंक साइबर सुरक्षा, डाटा विश्लेषण, सुपुर्दगी प्लेटफार्मों तथा भुगतान सेवाओं का उपयोग करते हुये वित्तीय समावेशन एवं कुशल बैंकिंग लेनदेनो की चुनौतियों से निपटने के लिए स्टार्ट-अपों/कंपनियों को प्रोत्साहित करने हेतु नवोन्मेष हब स्थापित करना चाहता है। उक्त नवोन्मेष हब नवोन्मेषी एवं व्यवहार्य वित्तीय उत्पाद अथवा सेवाएँ सृजित करने के लिए नयी सक्षमतायें सृजित करने, वित्तीय समावेशन में गहनता लाने, कुशल बैंकिंग सेवाओं की कल्पना-शक्ति और उद्भवन के केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने जहां इन्टरनेट संयोजकता (connectivity) का अभाव हो, ऐसे स्थानों पर भी ग्राहकों को डिजिटल लेनदेनों का विकल्प चुनने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कार्डों एवं मोबाइल उपकरणों का उपयोग करते हुये आफ़लाइन खुदरा भुगतान हेतु एक प्रायोगिक योजना की घोषणा भी की है। इसके अतिरिक्त वह यह भी चाहता है कि भुगतान प्रणाली प्रचालक एक आनलाइन परिवाद निवारण तंत्र की व्यवस्था करें, ताकि डिजिटल भुगतानों के संबंध में उपभोक्ताओं के परिवादों का निवारण हो सके।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एक नयी सहायक कंपनी के जरिये यूपीआई, रूपे को वैश्विक रूप देगा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) अपनी सहायक कंपनी एनसीपीआई इन्टरनेशनल पेमेंट्स कार्पोरेशन आफ इंडिया (IPCI), जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के कुछेक अन्य उत्पादों के साथ ही रूपे और एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ (UPI) के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर ध्यान केन्द्रित करेगा, के माध्यम से अपने व्यवसाय को भारतीय तट से परे ले जा रहा है। एशिया, अफ्रीका और मध्य-पूर्व जैसे कतिपय राष्ट्र भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा भारत में किए गए अनुकरणीय नवोन्मेष से प्रोत्साहित होकर एक "तत्काल सकल भुगतान प्रणाली" अथवा "घरेलू कार्ड योजना" स्थापित करने की तैयारी में हैं। एनपीसीआई की वृद्धि एवं विकास की परिणति रूपे और यूपीआई के लिए एक विशाल स्वीकृति नेटवर्क के रूप में होगी, इसप्रकार यह भारतीय यात्रियों को देशी भुगतान चैनलों का उपयोग करने में सशक्त बनाएगा।

विनियामकों के कथन

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर : बैंकों के लिए गहन आत्म-मंथन का समय यही है: कोविड के उपरांत बैंकिंग को पुनरभिमुखीकृत करना

प्रौद्योगिकी पर आधारित व्यवसाय मानक निर्वाचिका सभा (conclave) - बीएसएफआई 2.0 को मुक्त करें में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने अपने मुख्य भाषण में कहा कि बैंकों में कमजोरियों के कारणों में वर्तमान व्यवसाय वातावरण में अनुपयुक्त व्यवसाय माडल, गुणवत्तापूर्ण अभिशासन का अभाव और निर्णयन तथा बाहरी शेयरधारक/ हितधारक के हितों के साथ आंतरिक प्रोत्साहन ढांचों का अनमेल संरेखण है। एक चुनौतीपूर्ण वित्तीय वातावरण में आघात-सह बने रहने के लिए वे बैंकों से जोखिम प्रबंधन और निर्णयन की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देने की आशा करते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक स्वदेश और विदेशों में वित्तीय स्थिति पर निरंतर रूप से निगरानी रख रहा है; किन्तु जब तक कोविड के पूर्व लक्षण (prognosis) में कुछ निश्चितता नहीं दिखाई देती, मुद्रास्फीति एवं वृद्धि के संबंध में सलाह देना कठिन है।

वे इसके आगे यह मत व्यक्त करते हैं कि जिनमें अपनी पूर्ववत स्थित में वापस आ जाने की संभाव्यता है उन क्षेत्रों को सहायता प्रदान करते समय बैंको को "संवृद्धिशील" क्षेत्रों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। विभिन्न प्रकार के प्रयासों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र व्यापक तौर पर अब भी अनन्वेषित है। स्टार्ट-अप, नवीकरणीय, सुप्रचालनिक, मूल्य शृंखलाएँ तथा ऐसे हो अन्य संभाव्य क्षेत्रों पर अतिरिक्त रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। बैंकिंग क्षेत्र के लिए स्वयं अपने अस्तित्व को बचाए रखते हुये आर्थिक वृद्धि का उत्तरदायित्व स्वीकार करके अपनी व्यावसायिक रणनीति का पूर्णत: पुनरावलोकन करना जरूरी है।

गवर्नर ने इस बात पर बल दिया कि वर्तमान वैश्विक महामारी से संबन्धित आघात ने बैंकों के तुलनपत्र पर अत्यधिक दबाव डाला है और इसके परिणामस्वरूप उनकी पूंजी में ह्रास हो सकता है। बैंकों को इस स्थिति से शीघ्रतापूर्वक निपटना चाहिए। सुरक्षित भंडारों का सक्रियता से निर्माण तथा पूंजी में बढ़ोतरी न केवल ऋण प्रवाह अपितु अलग-अलग बैंकों और वित्तीय संस्थाओं/कंपनियों के साथ-साथ सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र की आघात-सहनीयता में वृद्धि सुनिश्चित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	21 अगस्त, 2020 के दिन बिलियन रुपए	21 अगस्त, 2020 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
कुल प्रारक्षित निधियाँ	3910859	522630
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	3595444	480482
(ख) सोना	270134	36100
(ग) विशेष आहरण अधिकार	10953	1,464
(घ) अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	34328	4585

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

सितंबर, 2020 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.25000	0.23600	0.25800	0.29200	0.35800
जीबीपी	0.08900	0.1137	0.1428	0.1862	0.2349
यूरो	-0.43140	-0.420	-0.410	-0.388	-0.353
जापानी येन	-0.01630	-0.016	-0.016	-0.011	-0.003
कनाडाई डालर	0.78000	0.564	0.629	0.716	0.793
आस्ट्रेलियाई डालर	0.16800	0.174	0.212	0.318	0.413
स्विस फ्रैंक	-0.63250	-0.627	-0.595	-0.552	-0.500
डैनिश क्रोन	-0.10430	-0.1370	-0.1471	-0.1327	-0.1086
न्यूजीलैंड डालर	0.16500	0.093	0.103	0.145	0.210
स्वीडिश क्रोन	-0.02600	-0.008	0.034	0.079	0.135
सिंगापुर डालर	0.27900	0.318	0.390	0.503	0.600
हांगकांग डालर	0.63000	0.650	0.680	0.730	0.770
म्यामार	3.55000	3.600	3.700	3.750	3.800

स्रोत : www.fedai.org.in

शब्दावली

परिचालन विकृति (twist)

परिचालन विकृति मौद्रिक नीति के एक ऐसे रूप को वर्णित करती है जिसमें केंद्रीय बैंक अल्पावधिक एवं दीर्घावधिक बाँड़ों को उनके उद्देश्य के आधार पर खरीदता और बेचता है। परिचालन विकृति नाम इस दृश्य प्रभाव के कारण पड़ा कि मौद्रिक नीति कार्रवाई से प्रतिफल वक्र के आकार पर कैसा प्रभाव होने की आशा है। रैखिक ऊर्ध्वमुखी ढलान वाले प्रतिफल वक्र से प्रतिफल वक्र उद्दिष्ट प्रभावी तौर पर विकृत हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम परिचालन विकृति पड़ा। इसे दूसरे रूप में कहें, तो प्रतिफल वक्र उस समय विकृत हो जाता है जब अल्पावधिक प्रतिफल में वृद्धि होती है और दीर्घावधि ब्याज दरों में उसी समय गिरावट आ जाती है।

वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

ऋण-जमा अनुपात

जमा की तुलना में ऋण के अनुपात का उपयोग किसी बैंक की चलनिधि का निर्धारण करने के लिए उस बैंक की कुल जमाराशियों की तुलना में उसी अवधि के कुल ऋणों से तुलना करके किया जाता है। इससे यह पता चलता है कि कोई बैंक अपनी जमाराशियों से कितना उधार देता है अथवा उसकी मूल निधियों में से कितनी रकम का उपयोग उधार देने हेतु किया जाता है। इसे प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। उक्त अनुपात के अत्यधिक होने पर उसका अर्थ यह होता है कि किसी अप्रत्याशित निधि आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैंक के पास पर्याप्त चलनिधि नहीं होगी। संक्षेप में, उक्त अनुपात के अत्यधिक कम होने पर बैंक उतना अर्जन नहीं कर रहा होगा जितना वह कर सकता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

सितंबर, 2020 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

11

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थान
"विपणन एवं ग्राहक सेवा" हेतु प्रशिक्षण	11 से 12 सितंबर, 2020 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
आस्ति-देयता प्रबंधन हेतु कार्यक्रम	14 से 15 सितंबर, 2020 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
कृषि वित्तीयन पर कार्यक्रम	28 से 29 सितंबर, 2020 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित

संस्थान समाचार

परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षाएँ

संस्थान ने परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षाएँ (Remote Proctored**) आरंभ कर दी हैं। परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षाएँ अभ्यर्थियों को घर बैठे परीक्षाओं में शामिल होने और उसके साथ ही उनके ज्ञान के आधार को बढ़ाने की सुविधा प्रदान करती हैं। इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैं :**

8 प्रमाणपत्र परीक्षाओं के लिए परोक्ष रूप से निरीक्षण अगस्त, 2020 में किया गया और 13 प्रमाणपत्र परीक्षाएँ सितंबर, 2020 में आयोजित होंगी।
परीक्षा दूसरे और चौथे शनिवारों तथा सभी रविवारों को संचालित की जाएगी।
परीक्षा शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
परोक्ष रूप से निरीक्षण स्वत: परोक्ष निरीक्षण एवं भौतिक परोक्ष निरीक्षण प्रक्रियाओं के संयोजन में किया जाएगा।
इस विधि की परीक्षा से संबन्धित महत्वपूर्ण अनुदेश तथा बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न संस्थान की वेबसाइट पर डाले गए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें : http://iibf.org.in/exam related notice.asp

93वीं वार्षिक साधारण सभा

संस्थान ने अपनी 93वी वार्षिक साधारण सभा 5 सितंबर, 2020 को प्रौद्योगिकी पर आधारित विधि से आयोजित की। उक्त वार्षिक साधारण सभा की अध्यक्षता भारतीय

स्टेट बैंक के अध्यक्ष और इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के सभापति श्री रजनीश कुमार द्वारा की गई।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC**) पुस्तक का विमोचन तथा व्यावसायिक बैंकर कार्यक्रम एवं मानव संसाधन सम्मेलन की शुरूआत और पुरस्कार/प्रमाणपत्र वितरण समारोह का आयोजन**

संस्थान अपने 10वें वार्षिक मानव संसाधन सम्मेलन का आयोजन 10 सितंबर, 2020 को प्रौद्योगिकी पर आधारित विधि से करेगा। इस अवसर पर संस्थान दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC**) पर एक नए प्रमाणपत्र तथा बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त करने के**

इच्छुक व्यावसायिकों के लिए व्यावसायिक बैंकर नामक एक नयी अर्हता की शुरूआत करेगा। मानव संसाधन सम्मेलन के दौरान संस्थान द्वारा प्रायोजित शोध गतिविधियों के अधीन विजेताओं, परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों और उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम बैच से कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले सहभागियों के नामों की घोषणा की जाएगी।

संशोधित सतत व्यावसायिक विकास योजना

संस्थान ने 15 सितंबर, 2020 से विद्यमान सतत व्यावसायिक विकास (CPD) योजना को संशोधित कर दिया है। संस्थान द्वारा आरंभ किए गए नए पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है, सहभागिता किए गए व्याख्यानों, संगोष्ठियों, वेबिनारों के लिए प्रत्यय पत्रों (credits) को संशोधित कर दिया गया है। सतत व्यावसायिक विकास योजना में एक वर्ष के भीतर आवश्यक प्रत्यय पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के वैधीकरण की शर्त पर प्रमाणपत्र दिये जाएंगे। संशोधित योजना के अधीन परिणाम घोषित किए जाने की तिथि से प्रारम्भ होकर सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम के तहत पंजीकरण की तिथि तक पिछले 9 महीनों में इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स से प्राप्त की गई अर्हताएँ प्रत्यय पत्र की पात्र होंगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.iibf.org.in देखें।

लाकडाउन अवधि के दौरान संस्थान की कार्यप्रणाली

यह सुनिश्चित करने के लिए कि महत्वपूर्ण गतिविधियां चलती रहें संस्थान के कार्य का बहुलांश कर्मचारियों द्वारा घर से कार्य करते हुये संपादित किया जा रहा है। संस्थान ने अपनी व्यवसाय निरंतरता योजनाएँ (BCPs) लागू कर रखी हैं, 1,00,000 से अधिक प्रमाणपत्र डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किए गए और भेजे गए हैं, उसके सभी प्रकाशन आदि डिजिटल विधि से जारी किए गए हैं।

संस्थान ने बैंकिंग एवं वित्त व्यावसायिकों के लिए कुछेक विशेष आनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रम चलाने की भी पहल की है। निम्नलिखित सुविधाएं तीन माह के लिए लागत-रहित उपलब्ध कराई गई है:

- जेएआईआईबी (3 विषयों), सीएआईआईबी (2 विषयों), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा कारबार संपर्कियों के लिए वीडियो व्याख्यान।

- **जेएआईआईबी (3 विषयों), सीएआईआईबी (2 विषयों) और ऋण प्रबंधन के लिए ई-शिक्षण।**

जहां सभी विषयों के लिए वीडियो व्याख्यान संस्थान के यू ट्यूब पृष्ठ पर पहले से ही उपलब्ध हैं, वहीं ई-शिक्षण की सुविधा 31 जुलाई, 2020 को समाप्त होने वाले 3 माह के लिए उन्हीं लोगों को उपलब्ध होगी, जो पंजीकृत हें।

संस्थान ने कुछेक प्रकार के जोखिमों और बासेल ई दिशानिर्देशों, मूल व्युत्पन्नी (derivative**) उत्पादों, डिजिटल प्रौद्योगिकियों में नयी घटनाओं और भुगतान प्रणालियों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम वित्तीयन जैसे समसामयिक विषयों पर कुछेक आनलाइन सत्रों का आयोजन भी किया है। संस्थान को उसके द्वारा की गई उपर्युक्त विशेष पहलकदमियों में काफी अच्छी संख्या में पंजीकरण एवं सहभागिता परिलक्षित हुई है।**

बैंक क्वेस्ट विश्वविद्याल अनुदान आयोग की जर्नलों की केयर सूची में शामिल

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के तिमाही जर्नल बैंक क्वेस्ट को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC**) के समूह बी वाले जर्नलों की केयर सूची में शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सावित्री फुले पुणे विश्वविद्यालय (**SPPU**) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – शैक्षिक एवं शोध नीति-शास्त्र संकाय (**UGC- Consortium for academic and Research Ethics**) सृजित करने हेतु प्रकाशन नीति-शास्त्र केंद्र (**CPE**), में जर्नलों के वि0श्लेषण के लिए एक कक्ष की स्थापना की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूचना के अनुसार सभी शैक्षिक प्रयोजनों के लिए केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की केयर सूची में समाविष्ट जर्नलों के शोध प्रकाशनों का ही उपयोग किया जाना चाहिए।**

आत्म-समगामी ई-शिक्षण (SPeL) पाठ्यक्रम

संस्थान को अपने दो प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों-यथा डिजिटल बैंकिंग और बैंकिंग मेँ नैतिकता के लिए आत्म-समगामी (self-paced**) ई-शिक्षण पाठ्यक्रमों की घोषणा करते हुये प्रसन्नता होती है। इस आत्म-समगामी ई-शिक्षण का उद्देश्य बैंकिंग एवं वित्त क्षेत्रों मेँ नियोजित व्यावसायिकों को एक अधिक सहायक प्रशिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना है। आत्म-**

समगामी ई-शिक्षण विधि में अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु पंजीकरण कराने, स्वयम अपनी गति से सीखने और अंत में स्वयम अपने स्थान से परीक्षा में शामिल होने की सुविधा प्राप्त होगी। उक्त दोनों पाठ्यक्रमों के लिए आनलाइन पंजीकरण 9 अप्रैल, 2019 से प्रारम्भ हो गए हैं। अधिक विवरण के लिए कृपया लिंक http://www.iibf.org.in/documents/SPeLnotice.pdf देखें।

कारबार संपर्कियों का अनिवार्य प्रमाणन

भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और भुगतान बैंकों दोनों के कारबार संपर्कियों के प्रमाणन के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स को एकमात्र प्रमाणन एजेंसी के रूप में अभिज्ञात किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से उक्त परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम संशोधित कर दिया गया है। संस्थान ने कारबार संपर्कियों के प्रमाणन के लिए सीएसआर -ई- अभिशासन (CSR-e- Governance) के साथ गठजोड़ भी कर रखा है।

बैंकों में सक्षमता निर्माण

संस्थान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभिज्ञात परिचालन के चार मुख्य क्षेत्रों, यथा खजाना प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, लेखांकन और ऋण प्रबंधन में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। ये पाठ्यक्रम आनलाइन परीक्षा के साथ मिश्रित हैं जिसके बाद उनमें ऐसे अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिन्होंने आनलाइन परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ के सहयोग से इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला विदेशी मुद्रा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम ऐसे सभी बैंक कर्मचारियों, जो खजाना परिचालन सहित विदेशी मुद्रा परिचालन के क्षेत्र में कार्यरत है या कार्य करने के इच्छुक हैं, के लिए एक अनिवार्य प्रमाणन होगा। कृपया परीक्षा हेतु पंजीकरण और अधिक विवरण के लिए वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा में समाधान

संस्थान ने प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा वाली विधि के माध्यम से प्रशिक्षण संचालित करने हेतु एक साफ्टवेयर अभिगृहीत किया है। यह साफ्टवेयर गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी लाये बिना संस्थान को प्रशिक्षार्थियों की काफी बड़ी संख्या तक प्रशिक्षण सामग्री प्रसारित करने में समर्थ बनाएगा। वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रशिक्षण भी आरंभ कर दिया

गया है। अधिक विवरण के लिए हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

आगामी अंकों के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तुयेँ

हमारे तिमाही जर्नल "बैंक क्वेस्ट" के आगामी अंकों के लिए विषय-वस्तुयेँ हैं :

- जुलाई-सितंबर, 2020 - नान बैंकिंग फाइनैन्सियल कंपनीज़, सिस्टेमिक रिस्क ऐंड इंटरकनेक्टेडनेस अमंग फाइनैन्सियल इन्स्टीट्यूशन्स
- अक्तूबर-दिसंबर 2020 - चैलेंजेस एंड अपारचुनिटीज़ ड्यू टू कोविड 19 फार क्रेडिट इंटर्मीडियरीज
- जनवरी - मार्च, 2021 - रोल आफ फाइनैन्सियल सेक्टर इन सपोर्टिंग आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव आफ गवर्नमेंट आफ इंडिया
- अप्रैल - जून, 2021 - इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनैन्सिंग- न्यू नार्मल
- जुलाई - सितंबर, 2021 - इवोल्यूशन एंड फ्यूचर आफ मॉनिटरी एंड फिस्कल पालिसीज - सब थीम्स : रेग्यूलेतारी फ्रेमवर्क, मॉनिटरी फ्रेमवर्क, फिस्कल फ्रेमवर्क

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान मेँ इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे मेँ पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों मेँ प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि मेँ कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि

(i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2020 से जुलाई, 2020 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध मेँ प्रश्नपत्रों मेँ समावेश के लिए विनियामक//कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 2019 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2020 से जनवरी, 2021 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2020 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नई पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या : 69228/1998 के अधीन पंजीकृत

बाजार की खबरें

भारित औसत मांग दरें

5.
4.8
4.6
4.4
4.2
4.
3.8
3.6
3.4
3.2
3

मार्च, 2020, अप्रैल, 2020, मई, 2020, जून, 2020, जुलाई, 2020, अगस्त, 2020

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर अगस्त, 2020

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

100
95
90
85
80 शृंखला 1
75 शृंखला 2
70 शृंखला 3
65 शृंखला 4
60

मार्च, 2020, अप्रैल, 2020, मई, 2020, जून, 2020, जुलाई, 2020, अगस्त, 2020
स्रोत : एफबीआईएल

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

7
6.8
6.6
6.4
6.2
6
5.8
5.6
5.4
5.2

फरवरी, 2020, मार्च, 2020, अप्रैल, 2020, मई, 2020, जून, 2020, जून, 2020, जुलाई, 2020
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकोनामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, अगस्त, 2020

बंबई शेयर बाजार सूचकांक

42000.00
37000.00
32000.00
27000.00

मार्च, 2020, अप्रैल, 2020, मई, 2020, जून, 2020, जुलाई, 2020, अगस्त, 2020

स्रोत : बंबई शेयर बाजार (BSE)

समग्र जमा वृद्धि %

11.5
11
10.5
10
9.5
9
8.5
8
7.5

फरवरी, 2020, मार्च, 2020, अप्रैल, 2020, मई, 2020, जून, 2020, जुलाई, 2020

स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकोनामी, भारतीय समाशोधन निगम अगस्त, 2020

डा. जे. एन. मिश्र द्वारा मुद्रित, डा. जे. एन. मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम),,मुंबई – 400 070 से प्रकाशित।

संपादक : डा. जे. एन. मिश्र

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल,
किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), ,मुंबई – 400 070
टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 **फैक्स** : **91-22-2503 7332**
तार : INSTIEXAM **ई-मेल** : admin@iibf.org.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in
.

आईआईबीएफ विजन सितंबर, 2020